पत्रांक–12 / चक0–(चक योजना–05–05 / 2019) 701 / चक0

(8)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

नवल किशोर
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता–सह–उप निदेशक,
चकबंदी, रोहतास।

पटना, दिनांक 31 / 07 / 2019

विषय :– **उप निदेशालय चकबंदी, रोहतास (सासाराम) के अधीन कार्यरत अमीनों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके आदेश ज्ञापांक 116 / चक0 दिनांक 04.07.2019 द्वारा चकबंदी के विभिन्न अंचलों में कार्यरत अमीनों को अंचल कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनहित समादेश याचिका सं0 7376 / 2008 (प्रवीण कुमार मिश्रा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में पुराने शाहाबाद जिले के सभी 38 चकबंदी अंचलों में चकबंदी की योजना सक्रिय रूप से संचालित किये जा रहे हैं। योजना की प्रगति की समीक्षा माननीय महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा छमाही रूप से की जाती है।

चकबंदी योजना के कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के स्तर से दिनांक 01.08.2019 को निर्धारित है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में चकबंदी अधिनियम की धारा 26 (क) के तहत कुल 100 राजस्व ग्रामों को अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 335(4) दिनांक 18.05.2017 द्वारा जिलों में अमीनों की कमी को देखते हुए सप्ताह में दो दिनों यथा मंगलवार एवं बुधवार को मापी कार्य सम्पादन हेतु चकबंदी के अमीनों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अगले आदेश तक सभी अमीनों को प्रतिनियुक्त किये जाने से वर्ष 2019–20 में दिया गया लक्ष्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

अतएव विषय की गम्भीरता को देखते हुए उप निदेशालय चकबंदी, रोहतास (सासाराम) के अधीन कार्यरत सभी अमीनों की प्रतिनियुक्ति शीघ्र रद्द करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

31/7/19

(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner